

जांच कर रही है। इस मिल को स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान किया जाए अथवा नहीं, यह बात गन्ने की उपलब्धता और अन्य संगत बातों के संदर्भ में परियोजना की व्यवहार्यता और सक्षमता सिद्ध होने पर निर्भर करेगी।

दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिये आयु सीमा बढ़ाया जाना

3842. श्री कल्पनाथ सोनकर : क्या शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन के शिक्षा निदेशालय में महिला प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए आयु सीमा 30 वर्ष से बढ़ा कर 40 वर्ष कर दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो पुरुष प्रशिक्षित स्नातक शिक्षकों के लिए आयु सीमा न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चह्वाण) : (क) और (ख). दिल्ली के स्कूलों में, शिक्षकों के विभिन्न पदों पर भर्ती करने से सम्बन्धित भर्ती नियमों के अन्तर्गत, निर्धारित अधिकतम आयु-सीमा में, सभी महिला उम्मीदवारों के सम्बन्ध में 10 वर्ष की सामान्य ढील दे दी गई है। यह ढील इस आधार पर दी गई है कि बहुत सी महिलायें अपने विवाहित जीवन के प्रारम्भिक वर्षों में कार्य नहीं कर पाती क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को उनकी छोटी आयु में अधिक समय देना पड़ता है और फिर उनके पतियों के स्थानान्तरण प्रायः होते रहते हैं। पुरुष शिक्षकों के मामले में ऐसा नहीं है।

Water Borne Diseases

3843. SHRI RAJESH PILOT: Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to state:

(a) whether an apparatus developed by the National Environmental Engineering Research Institute for monitoring chlorination for estimating residual chlorine in drinking water had been provided in all the 5,80,000 villages in the country;

(b) if not, the reasons thereof;

(c) whether the State Governments had been advised to keep provision for such an apparatus while formulating schemes and whether UNICEF financial assistance had been sought for this apparatus and for the operation of Master Plan;

(d) if so, the details thereof and if not, reasons thereof; and

(e) how much amount is being spent by the Government in purification of drinking water and the money spent to test whether the proper chlorination of water has been effected?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) No, Sir.

(b) There are other similar apparatus for determining residual chlorine in water. Further there are a large number of ground sources fitted with handpumps which are safe and hence no chlorination is adopted. In such cases, there is no need for this apparatus.

(c) and (d). The Manual on Water Supply and Treatment (1976) published by the Ministry of Works and Housing gives in detail under the Chapter 'Disinfection', the procedure for determination of chlorine residuals and also the levels of chlorine. This is being followed by